



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499।

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2013/आश्विन 5, 1935

No. 499।

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2013/ASVINA 5, 1935

सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 664(अ).—केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का प्रारूप जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में भारत सरकार के सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 555(अ) तारीख 19 अगस्त, 2013 द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के अधीन अपेक्षानुसार प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थीं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

— और तारीख 19 अगस्त, 2013 को उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2013 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के :
 - नियम 124क के उपनियम (8), उपनियम (9), उपनियम (10) और उपनियम (11) और नियम 125 के उपनियम (2) के दूसरे परंतुक में, “1 अक्टूबर, 2012” के स्थान पर, “1 अक्टूबर, 2013” रखा जाएगा ;
 - नियम 124क के उपनियम (12) में, “1 अक्टूबर, 2012” के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2014” रखा जाएगा।

[फा.सं. आर.टी.11028 / 09 /2008—एम.वी.एल. (खण्ड-II)]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 207(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2013 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2013

G.S.R. 664 (E).— Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 555(E) dated 19th August, 2013, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 19th August, 2013;

And whereas, suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (2nd Amendment) Rules, 2013.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, —
(i) in rule 124A, in sub-rules (8), (9), (10) and (11) and in the second proviso to sub-rule (2) of rule 125, for “1st October, 2012”, “1st October, 2013” shall be substituted;
(ii) in rule 124A, in sub-rule (12), for “1st October, 2012”, “1st April, 2014” shall be substituted.

[F.No.RT-11028/09/2008-MVL(Vol. II)]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were notified in the Gazette of India vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide G.S.R. 207(E) dated the 8th April, 2013.